DEVI S1DDHARTHA.) : (a) to (d) The Government is aware that Bihar Government has recently banned for use oral polio vaccines received by it during 1991-92, *Samples* of Oral *Folio vaccines* drawn from various districts in Bihar were sent by Government of Bihar for analysis on 23rd July, 1992. As per report sent by the Testing Laboratory on 8th September, 1992, 80 out of 82 samples showed low potency levels. Two Central teams visited the Districts of Patna, Vaishali, Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur and Gaya in Bihar in September and November, 1992 and collected samples which were sent for test which failed in respect of potency as vaccines, which are required to be kept at temperature betweel *2"* to 8" C, were not kept at the required temperature. The walk-in-cooler at Patna was packed with more vaccines than it should contain, which also contributed to the deterioration of the vaccines. In order to ensure that the Immunization Programme does not receive a set back, fresh stocks of Oral Polio vaccine of standard potency have been supplied to the State Government on 16th November, 1992. Additional generator sets are being provided to 30 districts where electric supply is erratic. The Central Government has also emphasised to the State Government the need for monitoring the functioning of the cold chain and filling up the sanctioned posts for maintenance of the cold chain system in the State.

Panel to Frame Norms for sanctioning Medical Colleges

2427. SHRIMATI CHANDRIKA, AFHT N AND AN JAIN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government have constituted a Committee to frame new guidelines for sanctioning medical colleges in the country;

(b) if so, the constitution and terms of reference of the committee;

(c) whether the Committee has submitted the report; and

(d) if so, the details of the recommendations made by it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D. K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) to (d) No, Sir. Under *the terms* of the Ordinance promulgated on 27th August, 92 relating to the establishment of new medical colleges a Scheme has to be prepared which would set out the requirements for prefering such applications. The Medical Council of India- have been asked to prepare the scheme and a part report has been received which is under examination:

यूनानी चिकित्सा-पद्धति पर संगोष्ठियां

2428. **मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनानी चिकित्सा-पद्धति के बारे में विगत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी संगोष्ठियां, कब-कब और कहां-कहां आयोजित की गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी संगोष्ठियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यूनानी चिकित्सा-पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ने यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में 1989-90 से अब तक निम्नलिखित संगोष्ठियां आयोजित की हैं :—

1989-90—फरवरी, 1989 में अलीगढ़ में पांचवीं वैज्ञानिक संगोष्ठी ।

1990-91—अक्तूबर, 1990 में दिल्ली में छठी वैज्ञानिक संगोष्ठी ।

1991-92—फरवरी, 1992 में बम्बई में सातवीं वैज्ञानिक संगोष्ठी ।

1992-93—मई, 1992 में कलकत्ता में तथा जून, 1992 में बंगलौर में कार्यशालाएं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. एक यूनानी भेषजसंहिता समिति गठित की गई है । इसमें यूनानी तिब्ब, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भेषजगुण-विज्ञान, भेषज विज्ञान क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं । यह समिति सरकारी भेषज कोशों/भेषज संहिताओं को तैयार करने के कार्य में लगी हुई है ताकि यूनानी औषधों के निर्माण के समान मानक रखे जा सकें और मिश्रित योगों के मानक निर्धारित किए जा सकें जिनमें इन औषधों की शुद्धता और गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए परीक्षण भी शामिल हैं ।

2. नैदानिक अनुसंधान, औषध अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और औषधीय पादपों के सर्वेक्षण और उनकी खेती के अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर परिवार कल्याण अनुसंधान कार्यक्रमों को चलाने के लिए केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद् स्थापित की गई है । परिषद् की देश के विभिन्न भागों में 30 संस्थाएं/इकाइयां हैं ।

3. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी में शिक्षा का समान स्तर निर्धारित करने, उसे बनाए रखने और इन क्षेत्रों में चिकित्सकों के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का गठन किया गया है ।

4. देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति के 22 मान्यता प्राप्त स्नातकपूर्व कालेज तथा 4 स्नातकोत्तर कालेज हैं जो कि इस पद्धति में शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं । इन कालेजों में प्रतिवर्ष यूनानी चिकित्सा पद्धति के 70 से अधिक स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर डाक्टर तैयार होते हैं ।

5. यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए बंगलौर में राष्ट्रीय स्तर का एक यूनानी चिकित्सा संस्थान खोला गया है ।

दृष्टिहीनता का उपचार और रोकथाम

2429. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 में देश में पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ख) दृष्टिहीनता के उपचार और इसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) देश में वर्ष 1991 के दौरान 15.8 लाख व्यक्तियों के पूरी तरह दृष्टिहीन होने का अनुमान लगाया गया था (डब्ल्यू० एच० ओ०—एन० पी० सी० बी० सर्वेक्षण 1986—89) । इनमें से 80.1 प्रतिशत जराजन्म मोतियाबिन्द के कारण तथा शेष रेफ्रेक्ट्री दोषों, ग्लूकोमा, कार्नियल ओपैसिटी और ट्रकोमा के कारण दृष्टिहीन ह ।